रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3158] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 3158] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2018

का. आ. **3953(अ)**.—केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक 6.8.2018 की सं. 25/सीएम/2018 (i) के द्वारा कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) के लिए निम्नलिखित का अनुमोदन किया है:

(i) कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) चार सदस्यों वाला निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।

(ii) (क) मंडल के अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से किया जाएगा:

पीएचडी डिग्री धारक और 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त या सेवारत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकविद या शिक्षाविद अथवा लोकप्रशासन या कृषि या संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त या सेवारत सिविल सेवक।

(ख) यह चयन, मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त एक उच्च स्तरीय खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) इस प्रकार से चयनित अध्यक्ष का उनके पिछले संगठन में कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा। अध्यक्ष का स्तर (स्टेटस) उपयुक्त अनुलब्धियों और लाभों के साथ भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा।

(iii) मंडल के अन्य तीन सदस्यों का चयन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 14 या इससे ऊपर और निम्नलिखित 3 विषय-क्षेत्रों के समूहों से (प्रत्येक समूह से एक) कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर या इसके समकक्ष पद धारक वैज्ञानिकों में से किया जाएगा।

(क) फसल विज्ञान एवं बागवानी विज्ञान सहित पादप विज्ञान समूह।

(ख) पशु विज्ञान और मात्स्यिकी विज्ञान समूह।

(ग) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र एवं कृषि सांख्यिकीय जैसे सामाजिक विज्ञान।

(iv) उपर्युक्त तीन समूहों में शामिल न किए गए उभरते हुए विषय-क्षेत्र, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुमोदन से तीन विषय-क्षेत्रों के समूह में से किसी भी विषय-क्षेत्र के समूह में सम्मिलित किए जाएंगे।

(v) कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतनमान स्तर निम्नलिखित के अनुसार होगा:

(क) अध्यक्ष, कृ.वै.च.मं.- मूल वेतन रु. 2,25,000 (नियत) के साथ स्तर-17

(ख) सदस्य, कृ.वै.च.मं.- मूल वेतन रु. 2,05,400-2,24,400 के साथ स्तर-16

(vi) कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा।

(vii) स्वायत्तता, गोपनीयता, जवाबदेही एवं सक्षम रूप से कार्य करने के लिए भाकृअप से कर्मचारियों की तैनाती के वर्तमान प्रावधान को हटाते हुए कृ.वै.च.मं. के पास सचिवालय में प्रशासनिक स्टाफ का अपना कैडर होगा जिसपर इसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा। कृ.वै.च.मं. के सभी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता एवं अनुशासनिक प्राधिकारी कृ.वै.च.मं. होगा।

(viii) सचिव, कृ.वै.च.मं. का पद, रु. 1,44,200/- के आरंभिक वेतन सहित वेतन स्तर 14 में संयुक्त सचिव के स्तर का होगा जिसे केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से भरने का प्रावधान होगा। वे समग्र प्रशासन, वित्त, समन्वयन, पर्यवेक्षण, अनुशासनिक और सतर्कता मामलों के प्रमुख होंगे और मंडल के स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों को आवश्यक परिचालनात्मक सहायता प्रदान करेंगे।

(ix) उप सचिव/निदेशक की श्रेणी में कृ.वै.च.मं. के मध्यम प्रबंधन को भाकृअप से अवर सचिवों की पदोन्नति द्वारा और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना से प्रतिनियुक्ति द्वारा 40:60 के अनुपात में भरा जाएगा। बाह्य अनुभवी मानवशक्ति, मध्यम प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करेगी। सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के संदर्भ में कृ.वै.च.मं., नियंत्रक प्राधिकारी एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।

(x) कृ.वै.च.मं. प्रशासनिक कर्मचारियों का नियोक्ता, नियंत्रक एवं अनुशासन संबंधी प्राधिकारी होगा।

(xi) कृ.वै.च.मं. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुमोदन से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुसरण करते हुए ऊपर वर्णित प्रशासनिक कर्मचारियों के भर्ती नियमों (आरआर) को बनाएगा।

(xii) कृ.वै.च.मं. को भाकृअप से अलग कर दिया जाएगा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा। कृ.वै.च.मं. के लिए बजट शीर्ष को भाकृअप से अलग कर दिया जाएगा और डेयर के अंतर्गत सृजित किया जाएगा।

[फा. सं. 1(7)/85-कार्मिक IV]

ए. आर. सेनगुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

(Department of Agricultural Research and Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2018

S.O. 3953 (E).—The Union Cabinet has approved the following for Agricultural Scientists' Recruitment Board (ASRB) vide No 25/CM/2018(i) dated 6.8.2018:

(i) The Agricultural Scientists' Recruitment Board (ASRB) shall be a four Member body comprising of a Chairperson and 3 Members.

(ii) (a) The Chairperson of the Board shall be selected from amongst: -

Retired or Serving Scientists or Technologists or Academicians with Ph.D. degree and having 25 years of experience or retired or serving Civil Servants having experience of at least 25 years in public administration or agriculture or related sectors.

b) The selection should be carried by a high level Search-cum-Selection Committee appointed by the Ministry/Deptt. for the purpose, as per extant DoPT instructions.

c) The Chairperson so selected should not retain any lien to his/her previous organization. The status of Chairperson will be that of Secretary to Government of India along with appropriate perks and benefits.

(iii) The three other Members of the Board shall be selected amongst the scientists holding the position of Professor or equivalent in the Pay Level 14 or above of 7th CPC and having at least 20 years of experience each from the following 3 groups of disciplines:

(a) Plant Science Group including Crop Sciences and Horticultural sciences.

(b) Animal Sciences and Fisheries Sciences Group.

(c) Natural Resource Management, Agricultural Engineering, Agricultural Extension, Agricultural Education, Social Sciences like Agricultural Economics and Agricultural Statistics.

(iv) Emerging disciplines, not covered in above three groups, shall be included in any of the three groups of disciplines with the approval of the Minister of Agriculture & Farmers Welfare.

(v) The pay level of the Chairperson and Members, ASRB shall be as given below:

(a) Chairperson, ASRB-Level-17 with Basic pay Rs.2,25,000/-(Fixed)

(b) Members, ASRB-Level 16 with Basic pay Rs.2,05,400-2,24,400/-

(vi) The tenure of the Chairperson and Members, ASRB shall be for a period of three years or till attainment of 65 years of age, whichever is earlier.

(vii) For the purpose of autonomy, secrecy, accountability and efficient functioning ASRB shall have its own cadre of administrative staff in the secretariat and have independent administrative control, by delinking the existing provision of posting of staff from ICAR. ASRB shall be the appointing and disciplinary authority for all the staff of ASRB.

(viii) The position of Secretary, ASRB shall be of Joint Secretary level in the Pay level 14 with entry pay of Rs. 1,44,200/- with a provision of filling it through Central Staffing Scheme. He/she shall be heading the overall administration, finance, coordination, supervision, disciplinary and vigilance matters and provide essential operational support to Chairperson and Members of the Board for independent functioning of the Board.

(ix) The middle management of ASRB in the ranks of Deputy Secretary/Director shall be filled by the promotion of Under Secretaries from ICAR and from deputation from the Central Staffing Scheme in the ratio of 40:60. The external experienced manpower will help in enhancing the efficiency of middle management. The ASRB shall be the controlling authority and the disciplinary authority in terms of the CCS (CCA) Rules 1965.

(x) The ASRB shall be the employer, controlling and disciplinary authority for the administrative staff.

(xi) The ASRB shall formulate the Recruitment Rules (RRs) of the administrative staff as mentioned above adhering to the guidelines/instructions of DoPT with the approval of Minister of Agricultural and Farmers' Welfare.

(xii) The ASRB shall be delinked from ICAR and to be attached with Deptt.of Agricultural Research & Education (DARE) under Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare. The budget head for ASRB shall be delinked from ICAR and be created under DARE.

[F.No 1(7)/85-Per IV]

A.R. SENGUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.14 17:51:36 +05'30'